(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–2667–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–07–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील चुरहट, जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक–67/अ–27/2014–15

.....

भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री ज्येष्ठा प्रसाद पाण्डेय
निवासी–बूसी पोस्ट बड़ोखर, तहसील चुरहट,
जिला–सीधी, म0प्र0

————आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती कुन्तीदेवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद
पुत्री श्री मोहनलाल पाण्डेय
शाकिल ऐसा, तहसील अमरपाटन,
जिला–सतना, हाल निवासी–बूसी
पोस्ट बड़ोखर, तहसील चुरहट
जिला–सीधी, म0प्र0

2– श्रीमती संतोषियांदेवी पत्नी श्री उपेन्द्र कुमार अग्निहोत्री
पुत्री श्री मोहनलाल पाण्डेय, निवासी–दुअरी
तहसील–गुढ़, जिला–रीवा, म0प्र0
हाल निवासी–बूसी पोस्ट बड़ोखर, तहसील चुरहट
जिला–सीधी, म0प्र0

3– हरीश कुमार पाण्डेय

4– अरूण कुमार पाण्डेय, पुत्रगण ज्येष्ठा प्रसाद पाण्डेय
निवासीगण –बूसी पोस्ट बड़ोखर, तहसील चुरहट
जिला–सीधी, म0प्र0

5– श्रीमती ललितादेवी पत्नी स्व0 श्री अशोक कुमार पाण्डेय

निवासी–ग्राम, पोस्ट थाा, तहसील मझौली,

जिला–सीधी, म0प्र0

———–अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 व 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02-05-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार, तहसील चुरहट, जिला–सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका क्रमांक 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय चुरहट के समक्ष बंटवारा हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण क्रमांक 67/अ–27/2014–15 व उवान श्रीमती कुन्तीदेवी बनाम हरीश कुमार आदि दिनांक 10.06.2015 को दर्ज हुआ, जिसमें आवेदक एवं अनावेदकगण क्र0 3 लगायत 5 को तलब किये जाने हेतु सूचनापत्र जारी करने एवं पटवारी प्रतिवेदन मंगाये जाने तथा इस्तहार का प्रकाशन किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये तथा इस हेतु प्रकरण में आगामी दिनांक 29.07.2015 नियत की गई। तत्पश्चात प्रकरण की आदेश पत्रिका में काट–छांट करते हुये दिनांक 29.06.2015 नियत कर सामान्य पेशी दिनांक 20.07.2015 नियत की गई। तदोपरांत दिनांक 20.07.2015 की आदेश पत्रिका में अनावेदिका के अभिभाषक एवं आवेदक की उपस्थिति अंकित दर्शित करते हुये मुसन्ना दिया गया तथा जवाब हेतु पेशी दिनांक 29.07.2015 नियत की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय के विवादित आदेश तथा की जा रही बंटवारा कार्यवाही अवैध तथा अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। तहसील न्यायालय के समक्ष उक्त बंटवारा प्रकरण

में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपित्तयों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया कि अनावेदक हरीश कुमार पाण्डेय का पता ग्राम बूसी बताया गया है, जबकि सम्पूर्ण वादपत्र में ग्राम गुढ़ व तहसील गुढ़, जिला–रीवा में निवास होना लेख है, जिससे यह स्पष्ट है कि अनावेदिका क्रमांक 1 व 2 द्वारा न्यायालय को धोखे में रखकर अपने हित में आदेश पारित कराने के प्रयास किये जा रहे है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में प्रचलित व्यवहार वाद में व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह आदेशित किया गया है कि, प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति से कमिश्नर नियुक्त कर विधिवत उभयपक्षों की उपस्थिति में बंटवारा पुल्ली तैयार कराई जाकर बंटवारा आदेश पारित किया जावेगा, किन्तु अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा उक्त बंटवारा प्रकरण में पक्षकारों की तलवी के पूर्व ही इश्तहार एवं बंटवारा पुल्ली प्रकरण में सम्मिलित कराई गई है, साथ ही एक ही दिनांकों को समस्त छः गांव की बंटवारा पुल्ली तैयार की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि अनावेदिकागण क्रमांक 1 व 2 चोरी–छिपे व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरीत कार्यवाही कराने के प्रयास में है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उक्त बंटवारे कार्यवाही में की जा रही आदेश पत्रिकाओं का अवलोकन करने से यह प्रथम दृष्टिया परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ बंटवारा न्यायालय द्वारा मात्र अनावेदिकागण क्रमांक 1 व 2 को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से आदेश पत्रिकाओं में भी कांट–छांट कर पूर्णतः अनियमितता अपना कर कार्यवाही की गई है तथा विवादित आदेश पारित किये गये है जो कि कानूनी रूप से स्थिर रखे जाने योग्य है। संहिता की धारा 50 के अंतर्गत दी गई शक्तियां माननीय उच्च न्यायालय की उत्प्रेरणा शक्ति के समान है, यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालयों को उनको उनकी अधिकारिता में सीमित रखने के लिये है। किसी प्रकार की अवैधता अनियमितता अथवा त्रुटि के कारण पक्षकार न्याय से वंचित रहने की दशा में इनका प्रयोग किया जाना चाहिये । उस हेतु कार्यवाही की औचित्यता के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मंगाकर परीक्षण करने की शक्तियां प्राप्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा प्रतिउत्तर में तर्क प्रस्तुत कर बताया कि उक्त उन्मान के इजराय प्रकरण क्रमांक 15ए/06 में अपर जिला

न्यायाधीश महोदय, रीवा द्वारा दिनांक 12.01.2007 को जरिये ज्ञापन क्रमांक 11/07 द्वारा उक्त प्रकरण में आपके न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.05 के अनुसार 54 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुरूप बटनवारा सम्पन्न करके न्यायालय में पालन प्रतिवेदन आगामी पेशी दिनांक के पूर्व प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया था तथा साथ में यह भी निर्देश दिया गया था कि माननीय उच्च न्याालय के आदेश तक अन्तिम आदेश पारित न करें। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 13.02.2005 को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील क्रमांक एफ–ए/176/06 पर अन्तरिम आदेश पारित करते हुये राजस्व न्यायालय को यह आदेशित किया गया था कि बटनवारा की कार्यवाही जारी रखी जाये, लेकिन कोई अन्तिम आदेश इस अपील के निराकरण तक या कि अग्रिम आदेश तक पारित ना किया जाये। परन्तु अब चूँकि माननीय उच्च न्याालय जबलपुर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 05.05.2015 को अन्तिम आदेश पारित किया जाकर अपील को खारिज कर दिया गया तथा पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.02.2005 भी समाप्त कर दिया गया है। तब ऐसी स्थित में उक्त इजराय प्रकरण में धारा 54 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त बटनवारा किया जाकर अपर जिला न्यायाधीश महोदय रीवा के न्यायालय में लम्बित इजराय प्रकरण क्रमांक 15ए/06 में आगामी पेश दिनांक 12.08.2015 के पूर्व इस न्यायालय द्वारा पालन प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया जाना न्याय हित में आवश्यक हो गया है। इस आवेदन पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अपील क्रमांक 176/06 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2015 की प्रतिलिपि अवलोकन हेतु संलग्न किया गया है। अंत में अनावेदक क्र0 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने यह विदित होता है कि अनावेदिका क्र0 1 श्रीमती कुन्तीदेवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्री श्री मोहनलाल पाण्डेय, अनावेदिका क्र0 2 श्रीमती संतोषियांदेवी पत्नी श्री उपेन्द्र कुमार अग्निहोत्री पुत्री श्री मोहनलाल पाण्डेय द्वारा संलग्न अनुलग्न "अ" की आराजियों का माननीय न्यायालय जबलपुर के प्र0क्र0 176/2006 आदेश दिनांक 0505.2016 के अनुसार

तहसील न्यायालय में 1/2 हिस्से का बटवारा नामांतरण अनावेदकगण के नाम स्वीकार किये जाने बावत् संहिता की धारा 54 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 13.02.2005 को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील क्रमांक एफ–ए/176/06 पर अन्तरिम आदेश पारित करते हुये राजस्व न्यायालय को यह आदेशित किया था कि बटनवारा की कार्यवाही जारी रखी जाये, लेकिन कोई अन्तिम आदेश इस अपील के निराकरण तक या कि अग्रिम आदेश तक पारित ना किया जाये। परन्तु अब चूँकि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 05.05.2015 को अन्तिम आदेश पारित किया जाकर अपील को खारिज कर दिया गया तथा पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.02.2005 को भी समाप्त कर दिया गया है।

6/ प्रकरण का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकरण में पूर्व में अनावेदकगण के पक्ष में सिविल न्यायालय द्वारा भी दिनांक 03.12.2005 को डिक्री पारित की जा चुकी है। अब जब प्रकरण में पूर्व में ही अंतिम आदेश एवं डिक्री पारित की जा चुकी है तब ऐसी स्थिती में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी अपने–आप में अस्तित्वहीन हो जाती है।

7/ अतएव उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,